न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा [illegible]
वाद सं0 117/16
निर्णय दिनांक: 07.06.2018

1. आचूकीदेवी पत्नि मदनलाल जाति रैगर नि0 [illegible] तह0 सांभर जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. सूजादेवी पत्नि रूडाराम जाति चमार नि0 बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जें काश्त की भूमि आराजी खं0नं0 742 रकबा 3 बीघा ग्राम बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 मे स्थित है। उक्त आराजी पहलें अरविन्द कुमार, सुरेन्द्र कुमार पि0 गोरीशंकर हि0 1/2 व प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सें के रूप में खातेदारी में दर्ज थी तथा वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शें में दर्शायी सी स्थान पर अरविन्द कुमार व सुरेन्द्र कुमार अपने हिस्सेनुसार 1/2 भाग पर काबिज काश्त थे तथा नक्शें में दर्शायें बी व सी स्थान पर प्रतिवादी सं0 1 अपने हिस्सेनुसार 1/2 भाग पर काबिज काश्त थी। उक्त आराजी खं0नं0 742 के उत्तर दिशा में मोर्रम रोड़ जो बोबास गांव से बोबास रेल्वें स्टेशन जाती है जिसका उपयोग उपभोग वादीया प्रतिवादी सं0 1 अपने हिस्सेनुसार करते आ रहे है वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा वाद पत्र का अभिन्न अंग है। प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये रजिस्टरी विक्रय पत्र दिनांक 21.01.13 को आराजी खं0नं0 742 में अपने हिस्सा 1/2 डेढ़ बीघा भूमि में से 2/3 हिस्सा 1 बीघा भूमि वादीनी को विक्रय कर दिया तथा नक्शें में दर्शायें ए स्थान पर वादीनी को मौके पर कब्जा संभला दिया तब से वादीनी उक्त मार्क ए स्थान पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा मार्क बी स्थान

ण्ड अधिकारी
ांभर लेक

Scanned by CamScanner

पर प्रतिवादी सं0 1 काबिज काश्त है अरविन्द कुमार व सुरेन्द्र कुमार ने दिनांक 13.03.13 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा वादीनी को बेचान कर दिया तथा वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शें में दर्शायें सी स्थान पर वादीनी मौके पर कब्जा करा दिया है तब से वादीनी मार्क सी स्थान पर काबिज काश्त चली आ रही है इस प्रकार वादीनी अपनी खरीदशुदा भूमि आराजी में अपने कुल हिस्सा 1/2 2/3 कुल 5/6 हिस्सें पर नक्शें मे दर्शाये मार्क सी व ए स्थान पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा मार्क बी स्थान पर प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा काश्त है इसी अनुसार वादीनी व प्रतिवादी सं0 1 उक्त आराजीयात को शान्तिपूर्वक काश्त करते थे। वादीनी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य उक्त आराजी का विधिक रूप से कोई बंटवारा नहीं होने की वजह से तथा वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ जाने की वजह से प्रतिवादी सं 1 के मन में फितुर उत्पन्न हो गया ओर प्रतिवादी सं0 1 वादीनी को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर से बेदखल कर कब्जा कर अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान करना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 18.04.13 को जब वादीनी अपने खातेदारी व कब्जें काश्त की भूमि जिस पर अपने हिस्सेनुसार नक्शें में दर्शायें मार्क ए व सी भूमि पर फसल बोने हेतु बाजोत कर तैयार करवाने लगी तो प्रतिवादीनी व उसके परिवार वालों ने वादीया को बाजोत करने से रोक दिया तथा लड़ाई झगड़ा करने को उतारू हो गये तथा ऐलानिया धमकी दी कि वादीया अपना मौके पर से कब्जा हटा लेवे जिस पर वादीया काबिज है अन्यथा प्रतिवादी सं0 1 अपने बाहुबल से वादीया का कब्जा हटा कर अपना हिस्सा अन्य व्यक्तियों को बेचान करेगी व मनचाही स्थान पर कब्जा करवायेगी जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री भंवरलाल जैन ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र बोबास में पेश हुयी। वादीया केम्प में उपस्थित है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब

खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

से सहमत है व वाद के संलग्न नक्शा से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रतिवादी सहमत है।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 ख0नं0 742, नक्शा ट्रेस ख0नं0 742 पेश की है।

वादी ने वाद को राजस्व लोक अदालत की भावना से वाद के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद वाद के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत विभाजन राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी ख0नं0 742 रकबा 3 बीघा ग्राम बोबास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 का वादी द्वारा प्रस्तावित नक्शें अनुसार विभाजन किया जाता है तथा प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अंग रहेगा एवं तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावित नक्शें अनुसार रिकोर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प बोबास मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक